न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(कुशल कुमार कोठारी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 20/2020
जीसीएमएस नः– 2020/00049
दायर दिनांक :– 10/09/2020
निर्णय दिनांक :– 30/03/2022

अनवान

1. श्री उदयसिंह पिता भूरसिंह जाति राव, निवासी करेडों का गुडा , तहसील गढबोर,
2. श्री चुन सिंह पिता भूरसिंह जाति राव, निवासी करेडों का गुडा , तहसील गढबोर,
3. श्री चुन सिंह पिता भूरसिंह जाति राव, निवासी करेडों का गुडा , तहसील गढबोर

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गढबोर जिला राजसमन्द

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार कुंवारिया प्रकरण संख्या 548/2018 ना0क0 बअनवान सरकार बनाम प्यारचन्द निर्णय दिनांक 28.12.2018

उपस्थित :–

1–श्री केसर लाल आमेटा , अधिवक्ता अपीलान्ट
2–श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

निर्णय दिनांक 30.03.2022

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। अपीलांट के विरूद्ध राजस्व ग्राम करडो का गुडा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी न0 996 रकबा 4.10 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित को भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये शास्ति 250/–रूपये आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 28.12.2018 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम करडो का गुडा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी न0 996 रकबा 4.10 बीघा भूमि पर प्रार्थी का बहुत पुराना कब्जा है। अपीलान्ट उक्त भूमि पर विगत 20 वर्षो से कब्जा होकर उक्त भूमि को अपीलांटस के द्वारा मेहनत व धन व्यय कर काबिल काश्त बनाया है, भूमि के चारों ओर पत्थरों की बाउण्ड्री बनाई है। अपीलान्ट्स अपना नाजयज कब्जा होना स्वीकार नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने छपी छपाई सीले लगा कर अपीलान्ट्स की स्वीकृति मान कर आदेश देने में भारी भूल की है। अपीलांटस ने न तो अतिक्रमण स्वीकार किया है , न ही उन्हे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। अपीलांट के आजिविका का एक मात्र साधन ही कृषि है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम करडो का गुडा तहसील गढबोर जिला राजसमन्द में स्थित आराजी न0 996 रकबा 4.10 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । अपीलाण्ट द्वारा बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है । और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। चुंकि न्यायहित में अपीलान्ट को सूनवाई का समूचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार, गढबोर को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत कार्यवाही की जावे।

(कुशल कुमार कोठारी)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुशल कुमार कोठारी)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द